

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्राप्ति 0.39 R.03 CPC की पालना

को. 18/5/18

15⁰⁶
18

पत्रावली पेशा ड्रॉ (पुलाय उप) को
 श्री प्रकाश चन्ध यादव पुत्र श्री बलराज
 जाति यादव नि. छाजगा तहसील जयपुर
 जिला बीकानेर की ओर से अधिवक्ता श्री
 जी पी. सेनी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके
 किया कि प्राप्ति प्रा. पत्र ही अर्द्ध. के संबंध में
 मूल वादपत्र से वादिका ने ज.नं. 61, 52/1 न
 ग्राम छाजगा के तहसील हेतु अनुसंधान यह है
 जिससे ज.नं. 52/1 रज. 0.55 है की
 वादिका जानेदार नहीं है। ज.नं. 52/1 अ-
 वेदक ने जस्टिस रजिस्टर्ड विक्रय लेख कर
 किया है जिसका नामान्तरकरण करवाने
 की वजह से वादपत्र 9 प्रा. पत्र ही अर्द्ध
 पेशा किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अर्द्ध
 को रज. स्वीकार कर ज.नं. 52/1 को
 रज. गाना पेशा से मुक्त करवाने के आदेश प्रस्तुत
 करें।



पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध रज. रज.
 रज. का अवलोकन किया गया। चूंकि
 वादिका ज.नं. 52/1 की खातेदार नहीं है
 और रज. जानेदार के विक्रय ही अर्द्ध
 का नूतन पोषणीय नहीं है। अतः ज.नं. 52/1
 रज. 0.55 है तब ग्राम छाजगा को रज. ग-
 गणेश डि. नं. 18-05-2018 से मुक्त
 किया जाना है। शेष रज. गणेश पत्रावली
 रहेगा। अधिवक्ता की तहसील कोर्ट

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए



नहीं आई है। और 22-23 जार तारीख
अशुभ/201 4319वी दिनांक 04-07-2018
को पेश हो।

17/6/18
भागीरथ शास्त्र
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

07
04/18

पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य काम में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईया
दिनांक-14/09/18 को पेश हो।

14/09/18

पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य काम में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईया
दिनांक 22/10/18 को पेश हो।

22/10/18

पत्रावली पेश हुई। वकलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौरे पर/ अन्य काम में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईया
दिनांक 08/01/19 को पेश हो।

08/01/19

पत्रावली पेश हुई, उक्त में ब्या-
ब्या उपाज लावई गई। वकील उपाया
अपका पक्षकारान में से कोई भी हाजिर
अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही उक्त
अयम हाजिरी एवं उसमें पैबी में खतीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुभा होकर नम्बर से
कम हो तथा बाद तलमील दाखिल दफतर हो।
उल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भागीरथ शास्त्र
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला